[2021] 2 एस. सी. आर 1131

अमन लोहिया

वी.

किरण लोहिया

(2021 का हस्तांतरित मामला (सिविल) संख्या 25)

17 मार्च, 2021

[ए. एम. खानविलकर, बी. आर. गवई और

कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890: एस. 7 - परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984-एस। 7 (छ)-नाबालिग के संबंध में संरक्षकता के बारे में आदेश देने की अदालत की शक्ति-पिता द्वारा संरक्षकता याचिका-अपीलकर्ता ने अभिभावक के रूप में घोषणा की मांग की-हालाँकि, मां-प्रतिवादी ने न तो लिखित बयान दायर किया और न ही दो आवेदनों का जवाब दायर किया। यू/ऑर्ड। VI आर। 17 अभिवचनों के संशोधन के लिए, जो अभी भी लंबित हैं-इसके बजाय माँ ने यू/एस आवेदन दायर किया। 151 घोषणा के लिए सी. पी. सी.

और उसे एकमात्र और पूर्ण संरक्षक और संरक्षक के रूप में नियुक्त किया नाबालिग बच्चे का, साथ ही आवेदन यू/ओआरडी। VII आर। 11 संरक्षकता याचिका को खारिज करने के लिए, और एक यू/ऑर्ड। आई आर 10 और ऑर्ड। XXIII आर। 1ए.

आर/डब्ल्यू एस। 151 सी. पी. सी. ने संरक्षकता याचिका में उसे याचिकाकर्ता के रूप में स्थानांतरित करने के लिए-अपीलकर्ता को इन आवेदनों पर और अपने वकील के निर्वहन के मामले में भी नोटिस नहीं दिया गया-परिवार न्यायालय ने मां को नाबालिग बच्चे का एकमात्र, अनन्य और पूर्ण संरक्षक और संरक्षक घोषित किया; और इस धारणा पर आगे बढ़ते हुए कि पिता ने कार्यवाही को छोड़ दिया था, माता को संरक्षकता याचिका में याचिकाकर्ता के रूप में स्थानांतरित कर दिया। पारिवारिक न्यायालय ने पूरी कार्यवाही को तेज करके अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया-उसने अधिनियम द्वारा निर्धारित निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन नहीं किया-निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और प्राकृतिक न्याय न्यायालय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया।

द्वारा दायर स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता था

नाबालिग बच्चे के सर्वोपरि कल्याण और हित के साथ संयुक्त साझा पालन-पोषण व्यवस्था और बाल-केंद्रित दृष्टिकोण-इस प्रकार, स्थानान्तरण आवेदन पर पारित एकतरफा आदेश, साथ ही, घोषणा के लिए आवेदन पर कि प्रतिवादी एकमात्र है

नाबालिग बच्चे के संरक्षक और संरक्षक को अलग कर दिया जाता है-जारी करना

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संरक्षकता याचिका के पुनरुद्धार के लिए निर्देश और नए निर्णय के लिए इसे परिवार न्यायालय में भेजने का निर्देश।

पारिवारिक न्यायालय-अभ्यास और प्रक्रिया का पालन

कानून द्वारा निर्धारित-आयोजित: परिवार न्यायालय कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले की जांच करने के लिए बाध्य है-इसके पास विशेष रूप से अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को समाप्त करने के लिए पूर्ण शक्तियां नहीं हैं, जो निष्पक्षता और निष्पक्षता की गारंटी देती हैं।

पालन की जाने वाली प्रक्रिया में पारदर्शिता और दोनों पक्षों के दावों के निर्णय के लिए-परिवार न्यायालय के समक्ष जांच की प्रकृति न्यायिक है-इस संबंध में प्रतिमा द्वारा निर्धारित मानदंडों और प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांत-प्राकृतिक न्याय का पालन करके पक्षों के प्रतिद्वंद्वी दावों का समाधान करना बाध्य है।

फैमिली कोर्ट-वर्किंग ऑफ-एक्सप्लेनड।

अभ्यास और प्रक्रिया: कार्यवाहियों का परित्याग-का अनुमान: कार्यवाही के परित्याग के तथ्य के बारे में कोई कानूनी अनुमान नहीं हो सकता है-परित्याग को व्यक्त करना होगा या भले ही इसे निहित किया जाना हो, परिस्थितियाँ इतनी मजबूत और आश्वस्त होनी चाहिए कि इस तरह का निष्कर्ष निकालना अपरिहार्य है।

स्थानांतरित मामले का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 परिवार न्यायालय ने पूरी कार्यवाही को तेज करके अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया। निस्संदेह, परिवार न्यायालय प्रक्रिया के अनुसार मामले की जांच करने के लिए बाध्य है

कानून द्वारा निर्धारित। इसके पास विशेष रूप से अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को समाप्त करने के लिए पूर्ण शक्तियां नहीं हैं, जो पालन की जाने वाली प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता की गारंटी देती हैं और दोनों पक्षों के दावों के निर्णय के लिए हैं। परिवार न्यायालय के समक्ष जाँच की प्रकृति वास्तव में न्यायनिर्णायक है। यह पक्षों के प्रतिद्वंद्वी दावों को हल करने के लिए बाध्य है और ऐसा करते समय, उसे उस संबंध में प्रतिमा द्वारा निर्धारित मानदंडों और प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए। [पैरा 27] [1155-एफ-जी]

1.2 सी. पी. सी. के प्रावधान 1984 के अधिनियम के तहत आने वाले विवादों के समाधान के लिए लागू किए गए हैं। द फैमिली न्यायालय को एक सिविल न्यायालय माना जाता है जिसके पास इस तरह की सभी शक्तियां होती हैं।

अदालत। धारा 9,14,15 और 16 से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि परिवार अमन लोहिया बनाम।

संबंधित पक्ष द्वारा बताए गए तथ्य और उसके बाद ही, निर्धारण पर प्रवेश करने और उस पर निर्णय देने के लिए इस तरह के निर्णय के कारणों को दर्ज करना। ऐसा करने के लिए, परिवार न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह संबंधित पक्षों को नोटिस दे और उन्हें विवाद के निर्धारण से पहले अभिवचन और साक्षय के रूप में अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करे। [पारस 28,29] [1156-ए-बी, जी]

1.3 अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि उसने 1984 के अधिनियम की धारा 7 (जी) के साथ पठित 1890 के अधिनियम की धारा 7 के तहत परिवार न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। 1890 अधिनियम की धारा 7 में शक्ति प्रदान की गई है

नाबालिग के संबंध में संरक्षकता के बारे में आदेश देने के लिए न्यायालय। इस तरह की प्रार्थना नाबालिग के कल्याण में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है और "नाबालिग के पिता और माँ तक सीमित नहीं"। इस जाँच में, न्यायालय, यदि इतना संतुष्ट है कि यह नाबालिग के कल्याण के लिए है, तो आवेदक को व्यक्ति के अभिभावक के रूप में नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है।

या नाबालिग की संपत्ति या दोनों या केवल किसी व्यक्ति को ऐसा संरक्षक घोषित करना। अधिनियम की धारा 8 यह स्पष्ट करती है कि आदेश के लिए आवेदन करने का हकदार कौन है। इस तरह के आवेदन को उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र वाले जिला न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना आवश्यक है जहां नाबालिग 1890 अधिनियम की धारा 9 के तहत सामान्य रूप से रहता है। जहां तक इस तरह के आवेदन की प्रक्रिया का संबंध है, इसे अधिनियम की धारा 10 में आवेदन पत्र का प्रावधान करके चित्रित किया गया है, जिसमें उसमें निर्दिष्ट आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। धारा 11 प्रक्रिया के लिए निर्धारित करती है यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि कार्यवाही के लिए आधार है

आवेदन। इसके लिए 1890 के अधिनियम की धारा 13 के संदर्भ में आदेश देने से पहले साक्षय प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। द.

न्यायालय को 1890 के अधिनियम की धारा 17 में निर्दिष्ट कुछ मामलों पर विचार करने की आवश्यकता है और आदेश देते समय, धारा 19 में दिए गए अपवाद को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसे संरक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि दोनों अधिनियम (1984 अधिनियम और 1890 अधिनियम), प्रकटीकरण, घोषणाओं और घोषणाओं के रूप में प्रक्रिया का प्रावधान करते हैं।

[2021] 2 एस. सी. आर. का विरोध करने वाले दूसरे पक्ष द्वारा किए गए दावे और इसके खंडन।

दावा, जिसके बाद मामला न्यायालय द्वारा पारित घोषणा या आदेश के बाद साक्षय दर्ज करने के लिए आगे बढ़ता है। इन सभी कदमों का मूल उद्देश्य सभी संबंधित लोगों को उचित अवसर सुनिश्चित करना है। [पैरा 30,31] [1156-एच; 1157-ए-बी, सी-एफ]

1.4 अपीलार्थी ने आग्रह करते हुए याचिका दायर की थी

अपीलार्थी फरवरी, 2018 से लंबित रहा, प्रत्यर्थी ने कभी भी मुख्य याचिका या संशोधन आवेदनों का जवाब दायर नहीं किया और इसके बजाय 13.9.2019 पर नाबालिग बच्चे का एकमात्र और पूर्ण अभिभावक और संरक्षक नियुक्त किए जाने के लिए सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत आवेदन लिया। यह आवेदन सुनवाई के लिए 13.9.2019 पर पोस्ट किया गया था, जिस तारीख को अदालत ने अपीलार्थी और उसके वकील को नोटिस जारी किया। उस आदेश के अनुसार, मामले को फिर से आईडी1 पर अधिसूचित किया गया था जब अपीलार्थी की ओर से पेश वकील ने अदालत से उसे मामले से मुक्त करने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। वास्तव में, वकील को आरोपमुक्त करने से पहले, परिवार न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि अपीलार्थी को उसके वकील द्वारा किए गए अनुरोध के बारे में नोटिस दिया गया था, जिसमें वैकल्पिक व्यवस्था करना भी शामिल है, यदि वह चाहता है। मान लीजिए, परिवार न्यायालय द्वारा ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। यह 16.9.2019 दिनांकित आदेश से प्रबलित है। यह स्पष्ट रूप से नोट किया गया है कि अपीलार्थी को भेजे गए दस्ती नोटिस का अभी भी इंतजार था। [पैरा 33] [1157-जी-एच; 1158 ए-ई]

1.5 यह मानते हुए कि परिवार न्यायालय अनुमति दे सकता था

अपीलार्थी के वकील का अपीलार्थी को नोटिस दिए बिना एकतरफा रूप से आरोपमुक्त करने का अनुरोध। हालाँकि, उस अनुरोध को स्वीकार करने के बाद, नोटिस जारी करना अनिवार्य था अपीलार्थी इस प्रकार पारित आदेश के बारे में सूचित करे और ए. एम. ए. एन. लोहिया वी. को भी फोन करे।

किरण लोहिया

अपीलार्थी को अगली तारीख को आवश्यक व्यवस्था करने के लिए। इसके बजाय परिवार न्यायालय ने मुख्य मामले को 19.9.2019 पर दोपहर 2:30 बजे निर्धारित किया। दिनांक 16.9.2019 के आदेश के संदर्भ में, परिवार न्यायालय ने पहले से निर्धारित आदेश को भी रद्द कर दिया।

30.10.2019 की वापसी योग्य तिथि, एकतरफा। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि प्रत्यर्थी ने ऐसा अनुरोध किया था।

[पैरा 34] [1158-ई-जी]

1.6 19.9.2019 से पहले, प्रतिवादी ने आदेश I नियम 10 के तहत एक और आवेदन लिया जिसे आदेश XXIII नियम के साथ पढ़ा गया।

1 संरक्षकता याचिका में याचिकाकर्ता के रूप में स्थानांतरित किए जाने और अपीलार्थी को उसमें प्रतिवादी के रूप में स्थानांतरित करने के लिए सी. पी. सी. का ए, दिनांकित 18.9.2019 आवेदन में बताए गए कारणों के लिए। मान लीजिए, इस आवेदन की प्रति भी नहीं दी गई थी

जब इसे 19.9.2019 पर सुनवाई के लिए लिया गया तो इस आवेदन पर अपीलार्थी और न ही परिवार न्यायालय द्वारा कोई औपचारिक नोटिस जारी किया गया। परिवार न्यायालय ने केवल मामले को दोपहर 1 बजे 20.9.2019 पर रखने का आदेश दिया। दिनांकित 19.9.2019 आदेश, इस तथ्य का कोई संदर्भ नहीं देता है कि क्या अपीलार्थी को दिनांकित 16.9.2019 आदेश के माध्यम से भेजा गया नोटिस विधिवत रूप से जारी किया गया था और न ही इसके बारे में उस पर प्रभाव डाले गए सेवा के किसी भी शपथ पत्र को दाखिल करना। एक बार फिर, प्रतिवादी द्वारा दायर सी. पी. सी. की धारा 151, सी. पी. सी. के आदेश I नियम 10 के तहत आवेदन के तहत आवेदन की सेवा के बारे में दिनांक 20.09.2019 के आदेश में भी कोई उल्लेख नहीं है।

परिस्थितियाँ इतनी प्रबल और आश्वस्त करने वाली होनी चाहिए कि इस तरह का निष्कर्ष निकालना अपरिहार्य है। बल्कि, कोई अन्य दृष्टिकोण संभव नहीं है। इसके लिए, न्यायालय को सामग्री/पर ध्यान देना चाहिए था। साक्षय इंगित करता है कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता को प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदनों के साथ विधिवत सेवा प्रदान की गई थी और वह अदालती नोटिसों की सेवा सहित कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के निर्वहन के बारे में पूरी तरह से अवगत था। भले ही

न्यायालय को परित्याग का अनुमान लगाना था, उसके पास सबसे अच्छा [2021] 2 एस. सी. आर. हो सकता था।

सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 8 के तहत शक्ति के प्रयोग में चूक के लिए याचिका को खारिज कर दिया। [पैरा 35] [1158-जी-एच; 1159-ए-बी, जी-एच]

1.7 न्यायालय स्थानांतरण पर विचार नहीं कर सकता था

प्रत्यर्थी द्वारा एकतरफा आवेदन दायर किया गया और वह भी यह सुनिश्चित किए बिना कि यह अदालत द्वारा जारी किए गए नोटिस के परिणामस्वरूप अपीलार्थी पर विधिवत लागू किया गया था। मान लीजिए, यह इंगित करने के लिए कोई आधिकारिक अदालत रिकॉर्ड नहीं है कि इस तरह की सेवा अपीलार्थी पर प्रभावित हुई थी, जिसमें यह भी शामिल है कि अदालत ने इस पर नोटिस जारी किया था

स्थानांतरण अनुप्रयोग। तर्क के लिए, इस तरह के हस्तांतरण की अनुमति थी, लेकिन हस्तांतरण आवेदन को एकतरफा अनुमति देने के बाद, जब तक कि कारण शीर्षक में संशोधन नहीं किया गया था और अपने दावे के समर्थन में साक्षय पेश करने वाले पक्षों सहित याचिका में उचित परिवर्तन/संशोधन नहीं किए गए थे, तब तक मामला अंतिम निर्धारण के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था। इस तरह के संशोधन के बाद, किसी भी मामले में, अपीलार्थी को अदालत का नोटिस जारी करके अवसर दिए जाने की आवश्यकता थी ताकि वह संशोधित याचिका का जवाब देने में सक्षम हो सके, जिसमें इसे चुनौती देना भी शामिल है। यह प्रस्ताव कि संरक्षकता कार्यवाही में स्थानांतरण अनुमेय है, नाबालिग बच्चे के दूसरे माता-पिता के कहने पर निश्चित रूप से बहुत कम अनुमेय है, स्वीकार नहीं किया जाता है। [पैरा 36] [1160-सी-एफ]

1.8 अपीलार्थी का यह तर्क देना उचित है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश परिवार न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में पारित किए गए, ऐसा उच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण और अपीलार्थी के खिलाफ अवमानना मामलों में की गई टिप्पणियों के आलोक में प्रत्यर्थी और उसके वकील द्वारा ऐसा करने के लिए जोर देने के कारण हो सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका या अवमानना में उच्च न्यायालय द्वारा तिरस्कार किए गए अपीलार्थी का आचरण

याचिका, नाबालिग बच्चे के अभिभावक होने के लिए अपीलार्थी की योग्यता या अन्यथा के तथ्य को निर्धारित करने के लिए एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है। इस तथ्य को संयुक्त रूप से साझा करने की संभावना सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने गुणों के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

पालन-पोषण की व्यवस्था और विशेष रूप से, नाबालिग बच्चे के सर्वोपरि कल्याण और हित के साथ बाल-केंद्रित दृष्टिकोण। यही कारण है कि यहां तक कि उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण और अवमानना कार्यवाही का निपटारा करते हुए अपने फैसले के अंत में सावधानी का एक शब्द जोड़ा था कि संरक्षकता याचिका या

पक्षों के बीच अन्य कार्यवाही उनके अमन लोहिया बनाम पर आगे बढ़नी चाहिए।

कानून के अनुसार अपने गुण हैं, जिन्हें तत्काल मामले में परिवार न्यायालय द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। [पैरा 40] [1161-ई-एच; 1162-ए]

1.9 एक प्राथमिकता, पूर्व पक्ष द्वारा विवादित निर्णय और 21.9.2019 द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

परिवर्त्तन आवेदन पर परिवार न्यायालय, साथ ही, घोषणा के लिए आवेदन पर कि प्रतिवादी एकमात्र है,

नाबालिग बच्चे का अनन्य और पूर्ण संरक्षक और संरक्षक। इन्हीं कारणों से, परिवार न्यायालय द्वारा 16.10.2019 पर पारित कथित अनुवर्ती आदेश, जिसमें उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा सौंपने का निर्देश दिया गया है, को भी दरकिनार कर दिया गया है। जैसा कि इन आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है, उक्त आदेशों के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई को गैर-कानूनी माना जाना चाहिए और इसे इसके तहत घोषित किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा को पिता (अपीलार्थी) को बहाल करने की आवश्यकता है। तुरंत। इस आदेश के संदर्भ में रिमांड की गई कार्यवाही में उस मुद्दे पर अंततः परिवार न्यायालय द्वारा निर्णय लेना होगा।

[पैरा 42] [1162-डी-एफ]

प्रत्यर्थी द्वारा दायर सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पढ़ने पर इसे खारिज करने की आवश्यकता है। हालाँकि, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर उसे एकमात्र और पूर्ण संरक्षक घोषित करने के लिए सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत दायर आवेदन को पुनर्जीवित किया जाता है। वह अपने गुण-दोष के आधार पर परिवार न्यायालय के समक्ष आगे बढ़ेगा। कानून के साथ। इसकी रखरखाव के बारे में दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध सभी दलीलों को परिवार न्यायालय द्वारा तय किए जाने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। [पैरा 43] [1162-एफ-एच; 1163-ए-बी] [2021] 2 एस।

1.11 प्रत्यर्थी ने एम बच्चे के लिए अमेरिकी नागरिकता और उसके नाम पर अमेरिकी पासपोर्ट भी ले लिया है। के संदर्भ में शिकायत, प्रतिवादी ने वकील के माध्यम से था को आश्वासन दिया था

उक्त दावे को त्वरित नहीं करेगा और अपीलार्थी द्वारा किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए इस न्यायालय में इसे आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। [पैरा 44] [1163-सी-डी]

ममता मयी साहू बनाम अविनाश साहू 2015 एससीसी

ऑनलाइन ओरि 167; सोमेश्वर दयाल बनाम अनुपमा दयाल 2016 एससीसी ऑनलाइन डेल 458; रुचि माजू बनाम संजीव

माजू (2011) 6 एससीसी 479: [2011] 7 एस. सी. आर. 674; सविता सीताराम बनाम राजीव विजयसारथी रत्नम 2020 (4) ए. के. आर. 372; जे. के बनाम एन. एस. 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 9085;
तुषार विष्णु उबले बनाम अर्चना तुषार उबले एआईआर 2016 बम 88; लहरी सखामुरी बनाम सोभन कोडाली (2019) 7 एससीसी 311: [2019] 5 एस. सी. आर. 240; आशीष रंजन बनाम अनुपमा टंडन और अन्र। (2010) 14 एससीसी 274: [2010] 14 एस. सी. आर. 961; तेजस्विनी गौड़ और अन्य। बनाम शेखर जगदीश

प्रसाद तिवारी और अन्य। (2019) 7 एससीसी 42: [2019] 7 एससीआर 335; विवेक सिंह बनाम रोमानी सिंह (2017) 3 एससीसी

(2018) 2 एससीसी 309: [2017] 13 एस. सी. आर. 230; कनिका गोयल बनाम दिल्ली राज्य और अन्र। (2018) 9 एस. सी. सी. 578 [2018] 11 एस. सी. आर. 546; ए. बी. सी. बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2015) 10 एस. सी. सी. 1: [2015] 8 एस. सी. आर. 422; रोक्सन शर्मा बनाम अरुण शर्मा (2015) 8 एस. सी. सी. 318: [2015] 2 एस. सी. आर. 572; संग्राम सिंह बनाम निर्वाचन न्यायाधिकरण, कोटा और अन्र। ए. आई. आर. 1955 एससी 425 : [1955] एस. सी. आर. 1; पंजाब और अन्र राज्य। बनाम. शामलाल मुरारी और अन्र। (1976) 1 एससीसी 719: [1976] 2 एस. सी. आर. 82; रोजी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल (1973) 1 एस. सी. सी. 840 [1973] 3 एस. सी. आर. 918; गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल (2009) 1 एस. सी. सी. 42: [2008] 16 एससीआर 396 -

संदर्भित किया गया।

माता-पिता के साथ-साथ बच्चों की पहुंच और अभिरक्षा दिशानिर्देश

योजना; बाल पहुँच और अभिरक्षा दिशानिर्देश

चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन एनजीओ, अमन लोहिया बनाम द्वारा पेरेंटिंग प्लान।

किरण लोहिया

मुंबई, 2014; भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट सं।

257 में संरक्षकता और अभिरक्षा कानूनों में सुधार

भारत (मई, 2015)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2011] 7 एससीआर 674

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

2020 (4) एकेआर 372

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

आकाशवाणी 2016 बम 88

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[2019] 5 एससीआर 240

पैरा 14

संदर्भित किया गया है

[2010] 14 एससीआर 961

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[2019] 7 एससीआर 335

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[2017] 2 एससीआर 312

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[2017] 7 एससीआर 281

पैरा 16

संदर्भित किया गया है

[2017] 13 एससीआर 230

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2018] 11 एससीआर 546

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2015] 8 एससीआर 422

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2015] 2 एससीआर 572

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[1955] एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1976] 2 एससीआर 82

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

[1973] 3 एससीआर 918

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2008] 16 एससीआर 396

पैरा 22

संदर्भित किया गया है

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: हस्तांतरित मामला (दीवानी)

5 2021 का

उच्च न्यायालय के 29.07.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

एम. ए. टी. अपील (एफ. सी.) में नई दिल्ली में 2020 की संख्या 85।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., श्याम दीवान, सीनियर एड. , अनिल मल्होत्रा, मुकल

आर, रुपेश कुमार, राजीव शर्मा, तौबोन ईरानी, सुश्री नीलम

ना, सुश्री पंखुड़ी श्रीवास्तव, अलेक्जेंडर शर्मा, प्रवेशगुना, विरेश बी. सहारिया, अक्षत अग्रवाल, सुश्री मालविका राजकोटिया,

रायतिम वोहरा, सुदिप्तो सरकार, सुश्री रिया सिंह साहनी, लक्ष्मी [2021] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रमन सिंह, अशोक पाणिग्रही, सुश्री श्रद्धा देशमुख, नवाब सिंह, बी. वी. बलराम दास, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री इंदिरा भाकर, सुघोश सुब्रमण्यम, चिराग एम. श्रॉफ, सुश्री अभिलाषा भारती, सुशांत डोगरा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. अपीलार्थी 1 ने एमएटी अपील (एफ. सी.) दायर की थी। नं. नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय में 2, जिसे वापस ले लिया गया और

29.7.2020 पर पारित सहमति आदेश के अनुसार, अतिव्यापी मुद्दों से जुड़े इस न्यायालय में पक्षों के बीच लंबित अन्य कार्यवाहियों के आलोक में इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया। अपीलार्थी द्वारा दायर की गई वह अपील प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली 3 के फैसले और आदेशों के खिलाफ है, जिसके तहत प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका में उसे याचिकाकर्ता के रूप में स्थानांतरित करने के लिए दायर आवेदन अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका में उसे शिशु रैना के व्यक्ति का अभिभावक घोषित करने और उसे उसके अभिभावक के रूप में नियुक्त करने के लिए, इस निष्कर्ष पर अनुमति दी गई कि अपीलार्थी ने याचिका को छोड़ दिया था। उसी दिन, एक अलग आदेश द्वारा, प्रत्यर्थी को एकमात्र, अनन्य और पूर्ण संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और

नाबालिग बच्चे का संरक्षक।

2. दोनों पक्षों ने इनके खिलाफ कई कार्यवाही की है।

एक-दूसरे, अनिवार्य रूप से उनके बीच असंगत वैवाहिक संबंध से उत्पन्न होते हैं। अपीलार्थी द्वारा दायर संरक्षकता याचिका के अलावा, प्रतिवादी ने दो मौकों पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी और अभिरक्षा और भेंट अधिकारों के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के कारण, दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी थी। अपीलार्थी के साथ-साथ उसके माता-पिता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं और अवमानना याचिकाओं में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाएं भी दायर की हैं।

3. जैसा कि ऊपर कहा गया है, उक्त कार्यवाही की सुनवाई के दौरान, पक्षों ने पहली अपील [एम. ए. टी. अपील (एफ. सी.)] के हस्तांतरण के लिए सहमति व्यक्त की। सं. 85 /

2020] परिवार न्यायालय के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित, दिनांक 21.9.2019, जिसमें अनिवार्य रूप से संरक्षकता के संबंध में मुद्दा शामिल है। इसके अलावा, दोनों पक्षों के बीच तलाक की याचिका भी लंबित है।

1 1 प्रतिवादी का पति

2 संक्षेप में, "उच्च न्यायालय" 3 3 संक्षेप में, "परिवार न्यायालय" 4 अपीलार्थी की पत्नी अमन लोहिया बनाम।

किरण लोहिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

4. जो भी हो, जब इस न्यायालय में पक्षों के बीच के मामलों को समान सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, तो यह उचित समझा गया था -

उसमें आवेदन। यह, जाहिर है, उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता था। क्योंकि, इस न्यायालय के दिनांक 29.7.2020 के आदेश के बाद अपील से निपटने का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया था। फिर भी, दोनों पक्षों ने उच्च न्यायालय के दिनांक 6.8.2020 के आदेश के संदर्भ के बिना योग्यता के आधार पर स्थानांतरित मामले (अपील) पर सलाह दी। 5. जैसा कि ऊपर कहा गया है, पक्षों के बीच कई कार्यवाहियां लंबित हैं। लेकिन, इस निर्णय में, हम संरक्षकता के संबंध में हमारे सामने मुद्दे का जवाब देने के लिए बुनियादी तथ्यों तक ही सीमित रह सकते हैं।

6. शुरुआत में, हम यह नोट कर सकते हैं कि वर्तमान हस्तांतरित मामले में हम जिस आदेश को पारित करने का प्रस्ताव करते हैं, उसकी प्रकृति के लिए यह आवश्यक नहीं हो सकता है

ताकि हम दोनों पक्षों द्वारा बताए गए सभी तथ्यात्मक मामलों का प्रचार कर सकें। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि संरक्षकता याचिका (जी. पी. सं. 09/2018) अपीलार्थी द्वारा अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 7 के तहत दायर की गई थी, जिसे परिवार न्यायालय अधिनियम, 19846 की धारा 7 (जी) के साथ पढ़ा गया था। अपीलार्थी ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की थी: -

याचिकाकर्ता को शिशु रैना के व्यक्ति का संरक्षक घोषित करना।

" ए.

याचिकाकर्ता को शिशु के संरक्षक के रूप में नियुक्त करना

बी.

रैना।

कोई अन्य राहत जो यह माननीय न्यायालय उचित समझे और

सी.

उचित '।

उक्त याचिका पर 19.2.2018 पर नोटिस जारी किया गया था। द.

प्रत्यर्थी ने अगस्त, 2018 तक लिखित बयान दाखिल नहीं किया, जब अपीलार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश VI नियम 17 के तहत याचिका में संशोधन के लिए एक औपचारिक आवेदन दायर किया।

5 संक्षेप में, "1890 का अधिनियम"

" संक्षेप में, "1984 अधिनियम" सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19087 और 1984 के अधिनियम की धारा 10 कुछ बाद के अभिलेख पर लाने के लिए

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (ओं) सहित घटनाएँ। यह आवेदन अपीलार्थी द्वारा 21.8.2018 पर दायर किया गया था। अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि परिवार न्यायालय ने 21.9.2019 पर विवादित आदेश पारित होने से पहले इस आवेदन पर विचार किया और उसका निपटारा किया। अपीलार्थी ने धारा 151 के साथ पठित आदेश VI नियम 17 के तहत एक और आवेदन दायर किया

4.10.2018 पर याचिका के संशोधन के लिए 1984 अधिनियम की धारा 10 और सी. पी. सी. परिवार न्यायालय ने प्रतिवादी को इस आवेदन का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। हालाँकि, प्रतिवादी ने इस आवेदन का भी जवाब दाखिल नहीं किया। आगे के कुछ घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के खिलाफ सिविल अवमानना याचिका (सीसीपी) संख्या (आईडी3) में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की दिनांकित (आईडी1) की रिकॉर्ड प्रति रखने के लिए और आगे निर्देश जारी करने के लिए 20.2.2019 पर परिवार न्यायालय के समक्ष एक और आवेदन दायर किया कि प्रत्यर्थी के अवमाननापूर्ण आचरण के कारण, उसे किसी भी आवेदन पर तब तक नहीं सुना जाना चाहिए जब तक कि वह अवमानना नहीं करती है। परिवार न्यायालय ने इस पर ध्यान देने के अलावा

आवेदन, दिनांक 20.2.2019 के अपने आदेश में यह भी दर्ज किया गया है कि आदेश VI नियम 17 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन अभी भी लंबित था और इसे 8.3.2019 पर सुनवाई के लिए अधिसूचित किया गया था। जब मामला 8.3.2019 पर परिवार न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, तो प्रतिवादी ने बिना किसी पूर्व सूचना के, उसके द्वारा दायर हिंदू विवाह अधिनियम, 19558 की धारा 26 के तहत आवेदन पर बहस करना शुरू कर दिया, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त आवेदन उस तारीख को तर्क के लिए सूचीबद्ध नहीं था। उस दिन जो चार आवेदन सूचीबद्ध किए गए थे, अर्थात्, अपीलार्थी द्वारा दायर सी. पी. सी. के आदेश VI नियम 17 के तहत दो आवेदन, सी. सी. पी. संख्या 13.2.2019 में उच्च न्यायालय के आदेश की रिकॉर्ड प्रति लेने के लिए एक आवेदन। और चौथा-संरक्षकता याचिका (जी. पी. सं. 09/2018) को खारिज करने के लिए आदेश VII नियम 11 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया। लेकिन उस दिन चारों आवेदनों को स्थगित कर दिया गया था।

7. इसके बाद प्रत्यर्थी ने सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत उसे एकमात्र और निरपेक्ष घोषित करने और नियुक्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

नाबालिग बच्चे का संरक्षक और संरक्षक। यह आवेदन प्रतिवादी द्वारा 13.9.2019 पर दायर किया गया था। इस आवेदन के अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया था और न ही इसकी अग्रिम प्रति उन्हें व्यक्तिगत रूप से या उनके वकील को प्रदान की गई थी। उस आवेदन में यह कहा गया था कि

आवेदन के साथ संलग्न उच्च न्यायालय के समक्ष की कार्यवाही से यह पूरी तरह से स्पष्ट था कि अपीलार्थी ने खुद को अयोग्य साबित किया था।

7 संक्षेप में, सी. पी. सी. 8 संक्षेप में, "एच. एम. ए". अमन लोहिया बनाम।

किरण लोहिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बच्चे के कल्याण और निर्वहन में कार्य करने में सक्षम और अक्षम

किसी भी तरह का विशेषाधिकार खो रहे हैं। गंभीर आरोपों के बाद

अपीलार्थी के रूप में, इस आवेदन को परिवार न्यायालय में सुनवाई के लिए दोपहर 2 बजे 16.9.2019 पर पोस्ट करने का आदेश दिया गया था, जैसा कि आदेश में उल्लेख किया गया है।

13.9.2019 , जो इस प्रकार हैः -

" जीपी नं.

09/2018

अमन लोहिया बनाम किरण लोहिया

13.09.2019

वर्तमानः सुश्री राइटिम वोहरा, एल. डी. प्रत्यर्थी के लिए वकील /

आवेदक।

सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत आवेदन पर आज ली गई फाइल

प्रत्यर्थी की ओर से दायर उचित निर्देशों की मांग करना /

आवेदक।

आवेदन की सूचना जारी की जाए

पी. एफ. दाखिल करने पर याचिकाकर्ता/गैर-आवेदक और उनके वकील

साथ ही कानून के अनुसार ई-मेल के माध्यम से। प्रक्रिया को दस्ती दी जाए।

दोपहर 2 बजे 16.09.2019 पर सूचीबद्ध रहें।

एल. डी. याचिकाकर्ता के वकील ने रिकॉर्ड फोटोकॉपी दाखिल की है

दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के दिनांकित आदेश 12.09.2019

इस अदालत के लिए मामले के नोटिस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबंध या प्रतिबंध है गैर-आवेदक/याचिकाकर्ता को जारी किया गया है।

(जोर दिया गया)

उक्त आदेश के संदर्भ में, मामले को 16.9.2019 पर अधिसूचित किया गया था

निम्नलिखित आदेश पारित किया गया: -

" जीपी नं. 09/2018

अमन लोहिया बनाम किरण कौर लोहिया

16.9.2019

वर्तमान: एस. रजत भल्ला, एल. डी. याचिकाकर्ता के वकील।

एल. डी. प्रत्यर्थी के लिए प्रॉक्सी वकील।

फाइल को आज श्री के रूप में लिया गया है। रजत भल्ला, एल. डी. के लिए वकील याचिकाकर्ता को भेजे गए आवेदनों का नोटिस दिया गया है एलडी द्वारा। शीघ्र सुनवाई और जारी करने के लिए प्रत्यर्थी के लिए वकील दिशाओं में।

एस. रजत भल्ला, अधिवक्ता जो अपनी ओर से पेश हो रहे थे

वर्तमान याचिका में और एच. एम. ए. सुनवाई सं.

625/18 (नया नंबर. 663/18) बताता है कि चूंकि उसे प्राप्त नहीं हुआ है

अपने मुवक्किल से कोई भी निर्देश, इसलिए, वह निर्वहन चाहता है इस मामले में। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने भी ऐसा ही अनुरोध किया है

समान पक्षों के बीच और उन्हें उसी में छुट्टी दे दी गई थी दिनांकित 12.9.2019 आदेश देखें। वह यह भी कहता है कि उसने ई लिखा था

अपने मुवक्किल को मेल करें और सेवा के अन्य साधनों को भी आजमाएं

वकील के रूप में वह इस मामले में आरोपमुक्त करने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि प्रत्यर्थी के वकील को ई-मेल भेजा था कि वह नहीं था

याचिकाकर्ता श्री का अधिक प्रतिनिधित्व करते हुए। अमन लोहिया किसी भी उसके द्वारा संभाले गए मामले।

सुना है। याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद और

याचिकाकर्ता को भेजे गए ई-मेल देखें और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की प्रतियां

दिल्ली, उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया है।

आज याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

उन्हें दस्ती नोटिस भेजा गया था और उसी पर रिपोर्ट है

प्रतीक्षा की जा रही थी।

दोपहर 2:30 बजे 19.9.2019 पर सूचीबद्ध रहें। पहले दी गई तारीख यानी 30.10.2019 रद्द कर दी गई है।

(जोर दिया गया)

इस बीच, प्रतिवादी ने इसके तहत एक और आवेदन दायर किया

संरक्षकता याचिका (जी. पी. सं. 09/2018) में याचिकाकर्ता के रूप में उसे स्थानांतरित करने के लिए सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पढ़ा गया आदेश I नियम 10 और आदेश XXIII नियम 1ए। यह आवेदन 18.9.2019 पर दाखिल किया गया था। उसमें दावा की गई नक्काशी इस प्रकार है: -

" प्रार्थना करें

उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, यह सम्मानपूर्वक है प्रार्थना की कि इस माननीय न्यायालय को प्रसन्न किया जाए:

ए। प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता के रूप में स्थानांतरित करें वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी के रूप में।

बी। ऐसे अन्य आदेश या निर्देश पारित करें जो वह उचित समझे और

न्याय के हित में उचित "।

8. 19.9.2019 पर, मामला परिवार न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था,

न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

" जीपी नं.

09/2018

अमन लोहिया बनाम किरण कौर लोहिया

19.09.2019

वर्तमान: याचिकाकर्ता के लिए कोई नहीं।

एल. डी. के साथ व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाता। वकील सुश्री मालविका राजकोटिया।

एल. डी. प्रतिवादी के वकील ने इसके तहत एक आवेदन दायर किया है

आदेश 1 नियम 10 और आदेश 23 नियम 1 ए आर/डब्ल्यू धारा 151 सी. पी. सी. प्रत्यर्थी को स्थानांतरित करें।

दोपहर 1 बजे 20.09.2019 पर विचार के लिए सूचीबद्ध रहें।

(जोर दिया गया)

20.9.2019 पर, जब मामला उठाया गया था, तो अदालत ने दर्ज किया

उतरने का क्रम: -

" जीपी नं.

09/2018

अमन लोहिया बनाम किरण कौर लोहिया

20.09.2019

वर्तमान: याचिकाकर्ता के लिए कोई नहीं।

एल. डी. के साथ व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाता। वकील सुश्री मालविका राजकोटिया। 2 से तर्क सुने गए हैं: 15 5 तक: 00 पी एम ऑन

आवेदन, आदेश 1 नियम 10 और आदेश 23 के तहत एक आवेदन

धारा 151 सी. पी. सी. और धारा के तहत अन्य अनुप्रयोग

151 सी. पी. सी. एल. डी. द्वारा दाखिल किया गया है। वकील।

एल. डी. प्रतिवादी के वकील ने मुकदमा दायर करने के लिए समय मांगा है। 21.09.2019 पर ऑर्डर के लिए सूचीबद्ध रहें।

एसडी /

स्वर्ण कांत शर्मा

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय

पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली

20.09.2019 (आर) "[2021] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक बार फिर, न्यायालय ने महत्वपूर्ण पहलुओं का विज्ञापन नहीं किया -

क्या विचाराधीन आवेदन को प्रत्यर्थी द्वारा दायर सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत आवेदन से संबंधित बहुत कम नोटिस के साथ-साथ आदेश I नियम 10 के तहत स्थानांतरण के लिए बाद के आवेदन को भी विधिवत लागू किया गया था।

9. तदनुसार, 21.9.2019 पर, मामले को परिवार न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था जब दो अलग-अलग आदेश पारित किए जाने के लिए आए थे।

पहला आदेश यह था कि लंबित कार्यवाही के बारे में जानकारी होने के बावजूद, अपीलकर्ता ने मामले को छोड़ दिया था और वापस ले लिया था, जिसके कारण प्रतिवादी संरक्षकता याचिका में याचिकाकर्ता के रूप में स्थानांतरित होने का हकदार था और यह घोषणा करने की मांग करता था कि वह नाबालिग बच्चे की अभिभावक थी। यह कहा गया है कि स्थानांतरण आवेदन की कोई सूचना नहीं है

अपीलार्थी को कभी नोटिस नहीं दिया गया था और न ही उसके बारे में

न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन की सुनवाई, इस तथ्य के बावजूद कि उसके वकील को मामले से बरी कर दिया गया था और अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व किसी अन्य वकील द्वारा नहीं किया गया था। उसी दिन, परिवार न्यायालय मुख्य संरक्षकता याचिका (जी. पी. सं. 09/2018) पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ा। प्रत्यर्थी द्वारा बताए गए भौतिक तथ्यों को दर्ज करने के बाद, यह माना गया कि नाबालिग बच्चे, जिसकी उम्र केवल ढाई साल थी, का संरक्षकता अपीलार्थी को देना उचित नहीं था। अपने आचरण के आधार पर, उन्होंने (अपीलार्थी) नाबालिग बच्चे के संरक्षक के रूप में घोषित होने के लिए खुद को अयोग्य घोषित कर दिया था। इस निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद, अदालत ने यह निर्णय दिया कि बच्चे के सर्वोपरि हित और कल्याण में, प्रतिवादी माँ को नाबालिग बच्चे का एकमात्र, अनन्य और पूर्ण संरक्षक और संरक्षक घोषित करने की आवश्यकता है।

10. पीड़ित महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने एम. ए. टी. अपील (एफ. सी.) के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। नं. 85/2020 उपरोक्त को चुनौती देने के लिए

पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश, दिनांक 21.9.2019। अपीलार्थी ने परिवार न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की शुद्धता को चुनौती देने के लिए विभिन्न आधार उठाए थे, जिसमें उसे उचित अवसर दिए बिना विवादित आदेश पारित करने का तरीका और अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करने में विफलता भी शामिल थी। विवादित आदेश परिवार न्यायालय द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, अपने वकील को आरोपमुक्त करने और उसके बाद भी अपीलार्थी को नोटिस जारी नहीं करने के मामलों में पारित किए गए थे, जिसमें उससे वैकल्पिक व्यवस्था करने का आह्वान किया गया था, और इससे भी अधिक प्रतिवादी को याचिकाकर्ता और अपीलार्थी के रूप में प्रत्यर्थी के रूप में स्थानांतरित करने की अनुमति देने में और उसी

दिन उसे (प्रत्यर्थी) नाबालिग बच्चे का एकमात्र, अनन्य और पूर्ण संरक्षक और संरक्षक घोषित करने के लिए।

अमन लोहिया बनाम। किरण लोहिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

11. अपीलार्थी के अनुसार, अपील के तहत निर्णय 1984 अधिनियम की धारा 17 के संदर्भ में निर्णय नहीं है। कि अभिलेख

मामला यह स्पष्ट करता है कि परिवार न्यायालय 1984 के अधिनियम के तहत अपने समक्ष लाए गए विवादों पर निर्णय लेने के लिए अपनाई जाने वाली स्थापित प्रथा और प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा। इस बात से पता चलता है कि

दिनांकित 13.9.2019 आदेश, जो दर्ज करता है कि अपीलार्थी को नोटिस जारी किया जाए और उसके वकील को 16.9.2019 पर वापस किया जाए। दोपहर 2 बजे। हालाँकि, 16.9.2019 पर, जब अपीलार्थी के वकील-श्री रजत भल्ला ने अदालत को सूचित किया कि वह आरोपमुक्त करने का इरादा रखते हैं और उनके आवेदन को अदालत द्वारा अनुमति दी गई, तो अपीलार्थी को इसका कोई नोटिस नहीं दिया गया। आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि अपीलार्थी को भेजे गए नोटिस की सेवा के संबंध में दस्ती रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित थी। वास्तव में, इससे पहले की तारीख को, न्यायालय ने मामले को 30.10.2019 के लिए पोस्ट किया था, जिसे परिवार न्यायालय द्वारा दिनांकित 16.9.2019 के आदेश के संदर्भ में एकतरफा रूप से रद्द कर दिया गया था, फिर से अपीलार्थी को बिना किसी सूचना के। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर सेवा का कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया था, जो प्रत्यर्थी द्वारा दायर सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत आवेदन के संबंध में अपीलार्थी पर नोटिस की सेवा के तथ्य का संकेत देता है, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि उसे नाबालिग बच्चे का एकमात्र, अनन्य और पूर्ण अभिभावक और संरक्षक घोषित किया जाए। इसके बावजूद, न्यायालय ने 19.9.2019 पर मामले को आगे बढ़ाया, लेकिन उस तारीख से पहले, प्रतिवादी द्वारा उसे संरक्षकता याचिका में याचिकाकर्ता के रूप में स्थानांतरित करने और उसमें प्रतिवादी के रूप में अपील करने के लिए एक और आवेदन दायर किया गया, आवेदन में उल्लिखित कारणों के लिए दिनांकित 18.9.2019। यहां तक कि इस आवेदन की प्रति भी अपीलार्थी को नहीं दी गई थी और इसके बावजूद, परिवार न्यायालय ने इस तथ्य को दर्ज किए बिना कि क्या अपीलार्थी को पहले के आवेदन या पहले के नोटिस के साथ विधिवत सेवा प्रदान की गई थी; और फिर भी मामले को अगले दिन यानी 20.9.2019 को दोपहर 1 बजे विचार के लिए सूचीबद्ध करने का फैसला किया। संक्षेप में, यह आग्रह किया जाता है कि अभिलेख स्पष्ट रूप से उस तरीके के बारे में बताता है जिसमें परिवार न्यायालय ने 1984 के अधिनियम में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए प्रत्यर्थी के कहने पर जल्दबाजी में आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का एक स्पष्ट मामला था। यह आग्रह किया जाता है कि यह परिवार न्यायालय के लिए खुला नहीं है कि वह अपीलार्थी के कार्यवाही को छोड़ने के तथ्य को मान ले जब तक कि वह ऐसा कहने के लिए न्यायालय में पेश नहीं हुआ था या उस संबंध में न्यायालय को लिखित रूप में सूचित नहीं किया था। यह तथ्य का सवाल है न कि कानूनी अनुमान लगाने का। यह मानते हुए कि न्यायालय आश्वस्त था कि अपीलार्थी कार्यवाही को लगन से आगे नहीं बढ़ा रहा था या किसी भी तरह से बाधा पैदा कर रहा था, न्यायालय, सबसे अच्छा, दायर याचिका को खारिज कर सकता था [2021] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 8 के तहत चूक या गैर-अभियोजन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा। किसी भी मामले में, चूंकि न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ एकतरफा स्थानांतरण आवेदन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है, इसलिए उसे अपने आदेश में उस तथ्य और उसके समर्थन में कारणों को स्पष्ट रूप से दर्ज करना चाहिए था। इसके अलावा, अपीलार्थी और अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के रूप में दायर संरक्षकता याचिका (जी. पी. संख्या 09/2018) में याचिकाकर्ता के रूप में प्रत्यर्थी के स्थानांतरण के बाद, न्यायालय के लिए यह जारी करना अनिवार्य था

अपीलार्थी को कार्यवाही में अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस। वास्तव में, संरक्षकता की कार्यवाही में, स्थानांतरण का सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि, यह अपने वार्ड के संरक्षक होने का दावा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत कार्रवाई के कारण पर आधारित एक मूल याचिका है। इसके अलावा,

मान लीजिए, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा दायर संरक्षकता याचिका का विरोध करने के लिए कभी भी लिखित बयान दायर नहीं किया था, याचिका के संशोधन के लिए आवेदन (आवेदनों) का बहुत कम जवाब दिया था, जिसे न्यायालय द्वारा स्वयं प्रत्यर्थी द्वारा दायर संरक्षकता याचिका के रूप में माना जा सकता था। दोनों ही मामलों में, न्यायालय अपीलार्थी को नोटिस जारी करने के लिए बाध्य था और नोटिस की सेवा के बाद ही मामले में आगे बढ़ सकता था। यदि प्रत्यर्थी को अपीलार्थी को नोटिस देने में कोई कठिनाई होती, तो न्यायालय प्रत्यर्थी को सी. पी. सी. के आदेश V के तहत प्रतिस्थापित सेवा के माध्यम से अपीलार्थी को सेवा देने की अनुमति दे सकता था। वह प्रयास भी था न्यायालय द्वारा नहीं। इसके बजाय, यह माना गया कि अपीलार्थी ने कार्यवाही को छोड़ दिया था। यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है। अतः परिवार न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय तक अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

21.9.2019 दिनांकित निर्णय और आदेशों में कार्यवाही, कानून में दूषित है। 12. अपीलार्थी ममता मयी साहू बनाम अविनाश साहू के कथन पर भरोसा कर रहा है, जिसमें उड़ीसा उच्च न्यायालय ने

यह स्पष्ट रूप से अलग था, क्योंकि अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कार्यवाही को छोड़ दिया था या उचित अवसर के बाद, किसी भी तरह से चूक की थी। वर्तमान मामला वास्तव में, अपीलार्थी की ओर से पेश होने वाले वकीलों में से एक था जो मामले से हट गया था। इसका मतलब यह नहीं है कि अपीलार्थी ने कार्यवाही छोड़ दी थी। यह आग्रह किया जाता है कि प्रत्यर्थी द्वारा सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत दायर आवेदन को 1890 के अधिनियम की धारा 25 के तहत दायर करने के लिए आवश्यक एक ठोस याचिका के रूप में नहीं माना जा सकता है। 9 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन ओरि 167

10 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 4585 अमन लोहिया बनाम।

किरण लोहिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

संरक्षक के रूप में घोषणा/नियुक्ति। किसी भी मामले में, परिवार न्यायालय सी. पी. सी. के आदेश VI नियम 17 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदनों के जवाब सहित प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दायर करने पर जोर देने और फिर उन मुद्दों को तैयार करने के लिए बाध्य था जिन पर मामला आगे बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, पारिवारिक न्यायालय इस मुद्दे पर निर्णय लेने और फैसला सुनाने से पहले साक्षय दर्ज करने के लिए बाध्य था

1984 के अधिनियम की धारा 17 के तहत अंतिम घोषणा और निर्णय, जो परिवार न्यायालय को मामले का एक संक्षिप्त बयान, निर्धारण के लिए बिंदु, उस पर निर्णय और ऐसे निर्णय के कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य करता है। परिवार न्यायालय सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत आवेदन का मनोरंजन करने की आड़ में, किसी व्यक्ति की पूर्ण शक्ति ग्रहण नहीं कर सकता है।

संवैधानिक न्यायालय, लेकिन मुकदमे और जांच के संचालन के लिए संबंधित अधिनियम और/या सी. पी. सी. में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया के अनुसार मामले का फैसला करने के लिए बाध्य है। आश्चर्यजनक रूप से, परिवार न्यायालय ने सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर एक आवेदन पर, कार्यात्मक अधिकारी बनने के बावजूद, 21.9.2019 पर विवादित निर्णय और आदेश देने के बाद, दिनांकित आदेश के माध्यम से निर्देश जारी किए।

16.10.2019 इस प्रभाव से कि नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा निर्दिष्ट समय के भीतर प्रतिवादी माँ को सौंप दी जाए। यह रिकॉर्ड की बात थी कि बच्चा परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से दूर था

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं या अवमानना याचिकाएं। केंद्रीय न्यायालय की चिंता नाबालिग बच्चे का सर्वोपरि कल्याण और हित होना चाहिए। इस संबंध में न्यायालय का दृष्टिकोण बाल-केंद्रित होना चाहिए। इस मुद्दे का जवाब युद्धरत माता-पिता के दावों और जवाबी दावों के आधार पर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि पिता के अन्य कार्यों और गलती के कारण उसके पिता के माता-पिता के बच्चे को अस्वीकार किया जाता है। ऐसा करना, वास्तव में, नाबालिग बच्चे को दंडित करना और उसे अपने पिता के प्यार और स्नेह से वंचित करना होगा। इससे बचना चाहिए। परिवार न्यायालय ऐसी कार्यवाहियों में अभिभावक होने के लिए पिता की अयोग्यता या अन्यथा के बारे में एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करने के लिए बाध्य है। यह बच्चे की देखभाल के संदर्भ में होना चाहिए न कि पिता के अन्य मामलों या सांसारिक गतिविधियों के संदर्भ में। वास्तव में, विद्वान वकील तर्क देते हैं,

सबसे उपयुक्त तरीका संयुक्त साझा पालन-पोषण योजना का पालन करना होगा, जिसमें बच्चा दोनों माता-पिता के साथ समान रूप से बातचीत करेगा। इसके अलावा, बच्चे का सर्वोपरि हित और कल्याण केवल पिता और माता के साथ जुड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके कल्याण और समग्र विकास के लिए दोनों पक्षों के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जुड़ना भी है। यह बाल मनोविज्ञान और पालन-पोषण के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वास्तव में, परामर्श के दौरान, प्रतिवादी ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि क्योंकि वह एक कामकाजी महिला है, इसलिए बच्चा उसके साथ रह सकता है।

दादा-दादी, जो काम के दिनों में दिन के समय केवल कुछ ही घरों से दूर रह रहे थे। अपीलार्थी ने बच्चे को तैयार करने या पर्याप्त समर्पण करने के लिए प्रतिवादी की अयोग्यता के बारे में कई पहलुओं पर प्रकाश डाला था

समय निकालें और अपना ध्यान रखें।

14. सविता सीताराम बनाम राजीव विजयसारथी रत्नम 1 2, जे. के. बनाम एन. एस. 1 3, तुषार विष्णु उबाले में रिलायंस को इस उक्ति पर रखा गया है।

बनाम। अर्चना तुषार उबले 1, भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 257 1 5 और माता-पिता की योजना के साथ बाल पहुंच और अभिरक्षा दिशानिर्देश। अपीलार्थी के अनुसार, संयुक्त अभिरक्षा या साझा पालन-पोषण "बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण" में होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बच्चे के संबंध में लिया गया प्रत्येक निर्णय उसके बुनियादी अधिकारों और जरूरतों, पहचान, सामाजिक कल्याण और शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास की पूर्ति के लिए हो। रिलायंस को लहरी सखामुरी बनाम सोभन कोडाली में निर्णय पर रखा गया है, आशीष रंजन बनाम। अनुपमा टंडन और Anr.[1], तेजस्विनी गौड़ और अन्य। बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी और अन्य "। , और विवेक सिंह बनाम रोमानी सिंह।

नाबालिग बच्चे की अमेरिकी राष्ट्रीयता लेकर और पक्षकारों के बीच संबंधित कार्यवाही में अदालत ने एक राजनयिक रिपोर्ट भी प्राप्त की दिसंबर, 2019 में अमेरिकी दूतावास से जन्म विदेश स्थिति (सी. आर. बी. ए.)।

12 2020 (4) एकेआर 372 (पैराग्राफ 9-11,13,23 और 32) 13 2019 एससीसी ऑनलाइन डेल 9085 (पैराग्राफ 89 और 95-97) 14 एआईआर 2016 बम 88 (पैराग्राफ 15 और 17-20)

16 चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन एनजीओ, मुंबई, 2014 द्वारा पेरेंटिंग प्लान के साथ चाइल्ड एक्सेस एंड कस्टडी दिशानिर्देश 17 (2019) 7 एस. सी. सी. 311

8 (2010) 14 एस. सी. सी. 274

19 (2019) 7 एस. सी. सी 42

20 (2017) 3 एस. सी. सी. 239 अमन लोहिया बनाम।

किरण लोहिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उत्तरदाता स्वयं एक अमेरिकी नागरिक है। इसलिए, अपीलार्थी को आशंका है कि प्रत्यर्थी का इरादा बच्चे को भारत में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से दूर करने और स्थायी रूप से पहुँच से इनकार करने का है।

उसे और उसके परिवार के सदस्यों को। चूँकि प्रतिवादी ने विवादित निर्णय और आदेशों के माध्यम से परिवार न्यायालय द्वारा दी गई घोषणा के आधार पर सी. आर. बी. ए. का दर्जा प्राप्त कर लिया है, उस आदेश को दरकिनार करने पर, उस आधार पर प्रतिवादी द्वारा अर्जित या प्राप्त सभी परिणामी दावे/लाभ भी कानून की नजर में गैर-कानूनी हो जाने चाहिए।

16. वास्तव में, भारतीय संदर्भ में, न तो 1984 के अधिनियम के प्रावधान और न ही 1890 के अधिनियम के प्रावधान, के पक्ष में एक घोषणा की परिकल्पना करते हैं माता-पिता को नाबालिग बच्चे का एकमात्र, अनन्य और पूर्ण संरक्षक और संरक्षक होना चाहिए। इस तरह की घोषणा प्रतिवादी द्वारा अपने गुप्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए परिवार न्यायालय से जानबूझकर प्राप्त की गई है। द.

अपीलार्थी ने हमें इस तर्क को पुष्ट करने के लिए अन्य बिंदुओं के माध्यम से लिया है कि प्रत्यर्थी नाबालिग बच्चे के माता-पिता की अभिरक्षा या संरक्षकता के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। अपीलार्थी ने निथ्या आनंद राघवन बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और Anr.2[1] 21, प्रतीक गुप्ता बनाम शिल्पी गुप्ता और <ID2, कनिका गोयल बनाम दिल्ली राज्य और अन्र में टिप्पणियों पर भी भरोसा किया है। 23 और ए. बी. सी बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 24. अपीलार्थी के अनुसार, पिता हिंदू कानूनों के तहत एक स्वाभाविक अभिभावक होने के नाते, संरक्षकता की घोषणा के लिए तब तक हकदार है जब तक कि किसी दिए गए मामले में यह नहीं पाया जाता है कि वह नाबालिग बच्चे के पालन-पोषण के संदर्भ में अयोग्य है या नाबालिग बच्चे के हित और कल्याण के खिलाफ कार्य करेगा, जैसा भी मामला हो। के अनुसार

अपीलार्थी के लिए, पिता एक स्वाभाविक संरक्षक है। माँ की अभिरक्षा चाहे जो भी हो, ससुर की संरक्षकता को वापस नहीं लिया जा सकता है। इस विवाद को मजबूत करने के लिए, रोक्सैन शर्मा बनाम अरुण शर्मा 25 पर निर्भरता रखी गई है। यह तर्क दिया जाता है कि जब तक पिता को अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है, तब तक उसे संरक्षक घोषित करने की राहत को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तथ्य यह है कि अपीलार्थी बच्चे को परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से दूर ले गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बच्चे का अपहरणकर्ता था, क्योंकि वह अभी भी एक स्वाभाविक अभिभावक है।

17. यह भी आग्रह किया जाता है कि माता-पिता के बीच बच्चे को हटाना एक वैधानिक अपराध नहीं है। रिलायंस को हेग समझौते पर रखा गया है

अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलू, दिनांक 25.10.198026

21 (2017) 8 एससीसी 454 22 (2018) 2 एस. सी. सी. 309

23 (2018) 9 एस. सी. सी. 578

24 (2015) 10 एससीसी 1 25 (2015) 8 एस. सी. सी. 318 26 संक्षेप में, "1980 हेग कन्वेंशन" [2021] 2 एस. सी. आर.

यह तर्क देना कि 1980 के हेग कन्वेंशन में शामिल होने का मुद्दा अभी भी भारत सरकार और माता-पिता के बीच के बच्चों के विचाराधीन है

अपहरण को अभी तक भारतीय कानून में कोई मान्यता नहीं मिली है। 18. अपीलार्थी के अनुसार, विवादित निर्णय और आदेश को किसी भी मापदंड पर कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे अलग रखने की आवश्यकता है और

इसके बजाय, अपीलार्थी द्वारा दायर संरक्षकता याचिका (जी. पी. सं. 09/2018) को अपीलार्थी के पक्ष में पूर्ण बनाया जाए।

19. प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा लिए गए रुख का दृढ़ता से खंडन किया है। यह आग्रह किया जाता है कि परिवार न्यायालय के पास इस आधार पर आगे बढ़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था कि अपीलार्थी ने उस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को छोड़ दिया था। केवल इसलिए कि कोई स्पष्ट कथन नहीं है

परिवार के समक्ष कार्यवाही में अपीलार्थी से आगामी

न्यायालय का यह अर्थ नहीं है कि उसने अपने आचरण और अभिलेख से स्थापित और उच्च न्यायालय द्वारा भी इस प्रकार उल्लिखित अन्य परिस्थितियों के कारण परिवार न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को नहीं छोड़ा था। अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि उसने खुद को इस्लाम में परिवर्तित करने का दावा करते हुए संयुक्त अरब अमीरात की अदालत में कार्यवाही दायर की। जब उनके लिए उन कार्यवाहियों को जारी रखना असंभव हो गया और उनकी गिरफ्तारी अपरिहार्य हो गई, तो उनके पास उन कार्यवाहियों को वापस लेने और इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। ऐसे वादी को कोई अनुग्रह नहीं दिखाया जा सकता है और न ही वह किसी सहानुभूति के योग्य होगा। अपीलार्थी को परिवार न्यायालय द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक कमियों को उठाने में रोक का भारी बोझ उठाना पड़ता है। किसी भी मामले में, तथ्यों और अभिलेख से पता चलता है कि अपीलार्थी को प्रगति के बारे में पूरी जानकारी थी

मामला और प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन, जैसा कि उसके ईमेल ट्रेल से स्पष्ट है। यह आग्रह किया जाता है कि अपीलार्थी ने अपने आचरण के कारण प्रक्रियात्मक खामियों के बारे में तकनीकी याचिकाएं उठाने से इनकार कर दिया है

परिवार न्यायालय द्वारा प्रतिबद्ध। प्रक्रियात्मक न्याय हमेशा मूल न्याय के अधीन होता है। यह आग्रह किया जाता है कि परिवार न्यायालय द्वारा प्रक्रिया के गैर-अनुपालन के संबंध में अपीलार्थी के अति तकनीकी तर्क को संग्राम सिंह बनाम निर्वाचन न्यायाधिकरण, कोटा और Anr.27, राज्य निर्वाचन आयोग में स्पष्टीकरण के आलोक में नकारने की आवश्यकता है।

पंजाब और अन्र। बनाम शामलाल मुरारी और रोजी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल 2 9। 27 ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 425 (पैरा 16) 28 (1976) 1 एस. सी. सी. 719 (पैरा 8) 29 (1973) 1 एस. सी. सी. 840 ए. एम. ए. एन. लोहिया बनाम।

किरण लोहिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

20. वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके मजबूत कारण हैं।

परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि, अपीलार्थी ने न केवल खुद को इस्लाम में परिवर्तित किया, बल्कि इस्लाम में भी शामिल हो गया।

नाबालिग बच्चे का अपहरण करके और उसे भारत से बाहर ले जाकर दुस्साहस किया और नाबालिग के लिए डोमिनिका की नागरिकता और डोमिनिका पासपोर्ट प्राप्त किया। माता प्राकृतिक संरक्षक और अपीलार्थी होने के नाते

दुर्व्यवहार ने खुद को अभिभावक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया, परिवार न्यायालय ने प्रतिवादी को नाबालिग के एकमात्र अभिभावक के रूप में उचित रूप से मान्यता दी।

21. नाबालिग बच्चे के प्रत्यर्थी द्वारा ली गई अमेरिकी नागरिकता और अमेरिकी पासपोर्ट के संबंध में, प्रत्यर्थी वकील के माध्यम से प्रस्तुत करता है

कि वह उसी तरह आत्मसमर्पण कर देगी। यह उत्तरदाता द्वारा सद्भावना और नाबालिग बच्चे के कल्याण के लिए लिया गया था। यह आग्रह किया जाता है कि परिवार न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने से पहले प्रासंगिक तथ्यात्मक मैट्रिक्स का स्वतंत्र मूल्यांकन किया है कि अपीलकर्ता पिता को संरक्षकता देना उचित नहीं होगा और इसके बजाय, प्रतिवादी इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति था:

नाबालिग बच्चे के एकमात्र, अनन्य और पूर्ण संरक्षक और संरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। इसे विवादित निर्णय के पैराग्राफ 15,17 से 28 में की गई चर्चा से समझा जा सकता है। यह आग्रह किया जाता है कि नाबालिग बच्चा अपीलार्थी या उसके परिवार के सदस्यों के साथ सहज नहीं है, जबकि प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसकी उचित देखभाल की जा रही है। भले ही प्रतिवादी एक पेशेवर होने के नाते एक कामकाजी महिला है, वह नाबालिग बच्चे के प्रति अपने दायित्व के प्रति सचेत है और अपनी बेटी के कल्याण और पालन-पोषण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देती है। इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी से संबंधित कार्यवाही में अनुमति प्राप्त भेंट की वर्तमान व्यवस्था, प्रत्यर्थी को नाबालिग का एकमात्र अभिभावक घोषित करने वाले परिवार न्यायालय के निर्णय को बाधित किए बिना, उसी शर्त पर जारी रह सकती है। प्रतिवादी नाबालिग बच्चे के कल्याण और हित को सुरक्षित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा लगाए गए किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अपीलार्थी ने सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से खुद को इस्लाम में परिवर्तित कर लिया है, और खुद को उस बच्चे के संरक्षक के रूप में कार्य करने से वंचित कर दिया है जो अभी भी हिंदू है।

22. रिलायंस को हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 पर रखा गया है। उसमें प्रावधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति धारा 6 के प्रावधानों के तहत नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है, अगर वह हिंदू नहीं रह गया है। एक स्पष्ट प्रतिबंध होने के कारण

कानून नाबालिग बच्चे के कल्याण के साथ, अपीलार्थी उसके द्वारा मांगी गई घोषणा के लिए अयोग्य है। अपीलार्थी अपहरण में लिप्त था

30 संक्षेप में, "1956 का अधिनियम" [2021] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दो मौकों पर नाबालिग बच्चे का, जिस पर नाराज़गी जताई गई है

उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाहियों में और विशेष रूप से, अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्रवाई में। यह अपने आप में अपीलार्थी को किसी भी राहत से इनकार करने का एक अच्छा कारण है। बल्कि, अपीलार्थी को तब तक नहीं सुना जाना चाहिए जब तक कि वह अवमानना को शुद्ध नहीं कर देता और वे कार्यवाहियाँ अभी भी इस न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। इस न्यायालय को नाबालिग बच्चे के सर्वोपरि हित को ध्यान में रखते हुए माता-पिता के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल 3 1 में देखा गया है, विशेष रूप से क्योंकि अपीलार्थी ने नाबालिग के कल्याण के खिलाफ काम किया है। किसी भी अन्य दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप उसे उसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा

दुराचार और दुस्साहस, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की अवज्ञा, दो अवसरों पर नाबालिग का अपहरण करना शामिल है, पहला जब वह सात महीने की थी और दूसरा जब वह केवल दो साल की थी। नाबालिग को इस तरह के अपहरण और उसे विदेश ले जाने के कारण दर्दनाक अनुभव हुआ होगा

उसकी माँ (प्रतिवादी) से पूरी तरह से अवरुद्ध। यह अति-उत्साही भावनात्मक पिता का मामला नहीं है, जो अपने बच्चे से प्यार करता है, बल्कि एक बदला लेने वाला पिता है जो अपनी पत्नी (नाबालिग बच्चे की मां) से नफरत करता है, जो अपने बच्चे के लिए घोषित प्यार से कहीं अधिक है। अपीलार्थी एक आदर्श माता-पिता के रूप में अयोग्य है और उसके पास एक प्रतिष्ठित नागरिक के नैतिक मूल्य नहीं हैं जो कानून का सम्मान करता है और अपने आसपास के लोगों की परवाह करता है।

23. अपीलार्थी द्वारा दायर अभिवचनों पर रिलायंस को रखा गया है, जिसमें उसने न्यायपालिका में अविश्वास दिखाने की हद तक जाना था।

इस देश की व्यवस्था और केवल यह सुनिश्चित करने के लिए खुद को इस्लाम में परिवर्तित कर लिया था कि बच्चे की अभिरक्षा उसके पास रहे। वह यहीं नहीं रुका, बल्कि धोखाधड़ी से डोमिनिका से नाबालिग बच्चे के लिए पासपोर्ट भी प्राप्त किया, जब उसका भारतीय पासपोर्ट उच्च न्यायालय की हिरासत में था। उन्होंने भारतीय कानूनी प्रणाली के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात में अदालतों का उपयोग करने के लिए एक कानूनी रणनीति तैयार की, ताकि नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा को अपने साथ बनाए रखने की अपनी अनैतिक योजना को प्राप्त किया जा सके और किसी भी मामले में प्रतिवादी को पूरी तरह से अस्वीकार किया जा सके।

नाबालिग बच्चे के साथ किसी भी तरह की पहुंच या बातचीत। अपीलार्थी ने कोर्ट ऑफ इक्विटी का दरवाजा खटखटाया था और खुद को गलत तरीके से पेश किया था

और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया, किसी भी तरह की राहत का हकदार नहीं है। यह आग्रह किया जाता है कि अब तक, यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि "मातृ वरीयता नियम" 1956 के

अधिनियम की धारा 6 (ए) के रूप में संहिताबद्ध नियम है, जो मां को नाबालिग बेटी की पूर्ण अभिरक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस प्रस्ताव के समर्थन में रिलायंस को ए. बी. सी. (ऊपर) में उक्ति पर रखा गया है। उत्तरदाता के अनुसार, एक निरंतर जोखिम है 31 (2009) 1 एस. सी. सी. 42 अमन लोहिया बनाम।

किरण लोहिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों का भी प्यार, परिवार न्यायालय के फैसले को बरकरार रखना न्यायसंगत और उचित होगा। इसके अलावा, कोई नहीं है अपीलार्थी के तर्क में योग्यता है कि परिवार न्यायालय द्वारा की गई प्रक्रियात्मक खामियों के कारण, मामले को परिवार न्यायालय के समक्ष नए सिरे से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह एक व्यर्थ की कवायद होगी क्योंकि अपीलार्थी के पूरे आचरण ने उसे नाबालिग बच्चे का अभिभावक होने के लिए एक योग्य व्यक्ति घोषित किए जाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।

24. समर्थन के लिए विभिन्न दस्तावेजों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था

25. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री अनिल मल्होत्रा और प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान को सुना है। 26. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हमारी सुविचारित राय में, हमारे लिए तथ्यात्मक मैट्रिक्स में जाना उचित नहीं हो सकता है।

विशेष रूप से पक्षकारों के आचरण के संबंध में, जैसा कि उनके द्वारा एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाया गया है, उस आदेश की प्रकृति के लिए जिसे हम पारित करने का प्रस्ताव करते हैं।

27. हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि वर्तमान मामले में परिवार न्यायालय ने पूरी कार्यवाही को तेज करके अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। निस्संदेह, परिवार न्यायालय कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले की जांच करने के लिए बाध्य है। इसके पास विशेष रूप से अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को समाप्त करने के लिए पूर्ण शक्तियां नहीं हैं, जो पालन की जाने वाली प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता की गारंटी देती हैं और दोनों पक्षों के दावों के निर्णय के लिए हैं। परिवार न्यायालय के समक्ष जाँच की प्रकृति वास्तव में न्यायनिर्णायक है। यह पक्षों के प्रतिद्वंद्वी दावों को हल करने के लिए बाध्य है और ऐसा करते समय, उसे उस संबंध में प्रतिमा द्वारा निर्धारित मानदंडों और प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए।

28. 1984 के अधिनियम के तहत परिवार न्यायालयों की स्थापना की गई। धारा 7 परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के बारे में निर्दिष्ट करती है।

इसका पता 1984 के अधिनियम की धारा 16 से लगाया जा सकता है। यह परिकल्पना की गई है कि किसी भी व्यक्ति का साक्षय जहां ऐसा साक्षय एक औपचारिक चरित्र का है, शपथ पत्र द्वारा दिया जा सकता है और सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन, परिवार न्यायालय के समक्ष किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में साक्षय के रूप में पढ़ा जा सकता है। 29. इन प्रावधानों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि परिवार न्यायालय से कानून द्वारा ज्ञात प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, जिसका अर्थ है कि दोनों पक्षों द्वारा औपचारिक अभिवचन दायर करने पर जोर देना, फिर निर्धारण के लिए मुद्दे तैयार करना, संबंधित पक्ष द्वारा बताए गए तथ्यों को साबित करने के लिए पक्षों के साक्षय दर्ज करना और उसके बाद ही, निर्धारण पर प्रवेश करना और ऐसे निर्णय के कारणों को दर्ज करके उस पर निर्णय देना। ऐसा करने के लिए, परिवार न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह संबंधित पक्षों को नोटिस दे और उन्हें विवाद के निर्धारण से पहले अभिवचन और साक्षय के रूप में अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करे।

30. हम उपयोगी रूप से 1890 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा परिवार न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करके लागू किया गया था। द.

अपीलार्थी ने 1984 के अधिनियम की धारा 7 (छ) के साथ पठित 1890 के अधिनियम की धारा 7 के तहत पारिवारिक न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की।

अमान लोहिया बनाम की धारा 7। किरण लोहिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

1890 का अधिनियम न्यायालय को नाबालिग के संबंध में संरक्षकता के बारे में आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है। इस तरह की प्रार्थना नाबालिग के कल्याण में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है और "नाबालिग के पिता और माँ तक सीमित नहीं"। इस जाँच में, न्यायालय, यदि इतना संतुष्ट है कि यह नाबालिग के कल्याण के लिए है, तो आवेदक को नाबालिग या दोनों की संपत्ति या व्यक्ति के संरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है या केवल किसी व्यक्ति को ऐसा संरक्षक घोषित करने के लिए स्वतंत्र है। अधिनियम की धारा 8 यह स्पष्ट करती है कि आदेश के लिए आवेदन करने का हकदार कौन है। इसने व्यक्तियों की चार श्रेणियों को निर्दिष्ट किया है। सबसे पहले वह व्यक्ति होता है जो नाबालिग का संरक्षक बनना चाहता है। दूसरा नाबालिग का कोई रिश्तेदार या दोस्त है। तीसरा उस जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र का कलेक्टर है जिसके भीतर नाबालिग सामान्य रूप से रहता है और चौथा कलेक्टर है जिसके पास उस वर्ग के संबंध में अधिकार है जिससे नाबालिग संबंधित है। इस तरह के आवेदन को उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र वाले जिला न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना आवश्यक है जहां नाबालिग 1890 अधिनियम की धारा 9 के तहत सामान्य रूप से रहता है। जहां तक इस तरह के आवेदन की प्रक्रिया का संबंध है, इसे अधिनियम की धारा 10 में आवेदन पत्र का प्रावधान करके चित्रित किया गया है, जिसमें उसमें निर्दिष्ट आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। धारा 11 प्रक्रिया के लिए निर्धारित करती है यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि आवेदन पर कार्यवाही के लिए आधार है। इसके लिए 1890 के अधिनियम की धारा 13 के संदर्भ में आदेश देने से पहले साक्षय प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। न्यायालय को 1890 के अधिनियम की धारा 17 में निर्दिष्ट कुछ मामलों पर विचार करने की आवश्यकता है।

आदेश में धारा 19 में दिए गए अपवाद को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसे संरक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। 31. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि दोनों अधिनियम (1984 अधिनियम और 1890 अधिनियम), प्रकटीकरण के रूप में प्रक्रिया का प्रावधान करते हैं,

घोषणाएँ और दावे और दूसरे पक्ष द्वारा इसका खंडन

न्यायालय द्वारा पारित घोषणा या आदेश के बाद। इन सभी कदमों का मूल उद्देश्य सभी संबंधित लोगों को उचित अवसर सुनिश्चित करना है। 32. इसलिए, अपीलार्थी द्वारा की गई शिकायत के आलोक में जिस प्रश्न का उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है, वह है: क्या परिवार न्यायालय में

वर्तमान मामले ने संबंधित अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया था,

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने वाली एक निष्पक्ष प्रक्रिया से बहुत कम?

33. यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी ने 1984 के अधिनियम की धारा 7 (जी) के साथ पठित 1890 के अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों को लागू करके याचिका दायर की थी। मान लीजिए, प्रतिवादी द्वारा उक्त याचिका का विरोध करने के लिए कभी कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया था। दूसरी ओर, अपीलार्थी [2021] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. पी. सी. के आदेश VI नियम 17 के तहत अभिवचनों में संशोधन के लिए दो आवेदन लिए गए। इन आवेदनों पर भी प्रत्यर्थी द्वारा कोई जवाब दायर नहीं किया गया था, बावजूद इसके कि अदालत ने उसे दिनांकित आदेश के माध्यम से ऐसा करने का निर्देश दिया था।

4.10.2018 . अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि परिवार न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा लिए गए अभिवचनों के संशोधन के लिए इन दोनों आवेदनों का फैसला किया। हालांकि अपीलार्थी द्वारा संशोधन के लिए दायर दो आवेदनों के साथ मुख्य आपत्ति फरवरी से लंबित रही। 2018 , प्रत्यर्थी ने कभी भी मुख्य याचिका या संशोधन आवेदनों का जवाब दायर नहीं किया और इसके बजाय 13.9.2019 पर नाबालिग बच्चे का एकमात्र और पूर्ण अभिभावक और संरक्षक नियुक्त होने के लिए सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत आवेदन लिया। यह आवेदन पोस्ट किया गया था

13.9.2019 पर सुनवाई के लिए, जिस तारीख को न्यायालय ने नोटिस जारी किया

अपीलार्थी और उसका वकील। उस आदेश के अनुसार, मामले को फिर से आईडी1 पर अधिसूचित किया गया था जब अपीलार्थी-श्री रजत भल्ला की ओर से पेश वकील ने अदालत से उन्हें मामले से मुक्त करने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। वास्तव में, वकील को आरोपमुक्त करने से पहले, परिवार न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि अपीलार्थी को उसके वकील द्वारा किए गए अनुरोध के बारे में नोटिस दिया गया था, जिसमें वैकल्पिक व्यवस्था करना भी शामिल है, यदि वह चाहता है। मान लीजिए, परिवार न्यायालय द्वारा ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। इसे उपरोक्त अनुच्छेद 7 में पुनः प्रस्तुत किए गए 16.9.2019 दिनांकित आदेश से प्रबलित किया गया है। यह स्पष्ट रूप से नोट किया गया है कि अपीलार्थी को भेजे गए दस्ती नोटिस का अभी भी इंतजार था।

34. यह मानते हुए कि परिवार न्यायालय अपीलार्थी के वकील के अनुरोध को एकतरफा रूप से आरोपमुक्त करने की अनुमति दे सकता था

अपीलार्थी को नोटिस देना। हालाँकि, उस अनुरोध को स्वीकार करने के बाद, अपीलार्थी को इस प्रकार पारित आदेश के बारे में सूचित करने के लिए नोटिस जारी करना अनिवार्य था और अपीलार्थी को अगली तारीख को आवश्यक व्यवस्था करने के लिए भी बुलाना अनिवार्य था। इसके बजाय परिवार न्यायालय ने निर्धारित किया कि

मुख्य मामला 19.9.2019 को दोपहर 2:30 बजे। दिनांक 16.9.2019 के आदेश के संदर्भ में, परिवार न्यायालय ने एकतरफा रूप से 30.10.2019 की पहले से निर्धारित वापसी योग्य तिथि को भी रद्द कर दिया। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि प्रत्यर्थी ने ऐसा अनुरोध किया था।

सी. पी. सी. के XXIII नियम 1ए में याचिकाकर्ता के रूप में स्थानांतरित किए जाने के लिए संरक्षकता याचिका और अपीलार्थी को उसमें प्रतिवादी के रूप में स्थानांतरित करना, दिनांकित 18.9.2019 आवेदन में बताए गए कारणों के लिए। मान लीजिए, इस आवेदन की प्रति भी अपीलार्थी

को नहीं दी गई थी और न ही इस आवेदन पर परिवार न्यायालय द्वारा एक औपचारिक नोटिस जारी किया गया था, अमन लोहिया बनाम।

किरण लोहिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जब इसे 19.9.2019 पर सुनवाई के लिए लिया गया था। परिवार न्यायालय ने केवल मामले को दोपहर 1 बजे 20.9.2019 पर रखने का आदेश दिया। दिनांकित 19.9.2019 आदेश (उपरोक्त पैराग्राफ 8 में), इस तथ्य का कोई संदर्भ नहीं देता है कि क्या अपीलार्थी को दिनांकित 16.9.2019 आदेश के माध्यम से भेजा गया नोटिस विधिवत रूप से जारी किया गया था और न ही उस पर लागू सेवा का कोई हलफनामा दाखिल करने के बारे में। जो भी हो, जब मामला 20.9.2019 पर सूचीबद्ध किया गया था, तो न्यायालय ने प्रतिवादी के विद्वान वकील को सुनने के बाद पारित किया निम्नलिखित क्रम (ऊपर पैराग्राफ 8 में भी पुनः प्रस्तुत किया गया है): -

" जीपी

नं. 09/2018

अमन लोहिया बनाम किरण कौर

लोहिया

20.09.2019

वर्तमानः याचिकाकर्ता के लिए कोई नहीं।

एल. डी. के साथ व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाता। वकील सुश्री मालविका राजकोटिया। 2 से तर्क सुने गए हैंः 15 5 तकः 00 पी एम ऑन

आवेदन, आदेश 1 नियम 10 और आदेश 23 के तहत एक आवेदन धारा 151 सी. पी. सी. और धारा के तहत अन्य अनुप्रयोग

151 सी. पी. सी. एल. डी. द्वारा दाखिल किया गया है। वकील।

एल. डी. प्रतिवादी के वकील ने मुकदमा दायर करने के लिए समय मांगा है। 21.09.2019 पर ऑर्डर के लिए सूचीबद्ध रहें।

एसडी /

स्वर्ण कांत शर्मा

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय

पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली

20.09.2019 (आर) "

एक बार फिर, इस क्रम में भी सेवा का कोई उल्लेख नहीं है

(i) प्रत्यर्थी द्वारा दायर सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत आवेदन, (ii) प्रत्यर्थी द्वारा दायर सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पठित आदेश XXIII नियम 1 के साथ पठित सी. पी. सी. के आदेश I नियम 10 के तहत आवेदन, (iii) 16.9.2019 दिनांकित आदेश और (iv) अपीलार्थी पर आदेश I नियम 10 के तहत आवेदन पर नोटिस जारी करने का आदेश। इसके बावजूद, न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़ा कि अपीलार्थी ने कार्यवाही को छोड़ दिया था। कार्यवाही के परित्याग के तथ्य के बारे में कोई कानूनी धारणा नहीं हो सकती है। परित्याग व्यक्त होना चाहिए या भले ही यह सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट हो।

21] 2 एस सी आर।

तात्पर्य यह है कि परिस्थितियाँ इतनी मजबूत और आश्वस्त करने वाली होनी चाहिए कि इस तरह का निष्कर्ष निकालना अपरिहार्य है। बल्कि, कोई अन्य दृष्टिकोण संभव नहीं है। इसके लिए, न्यायालय को ऐसी सामग्री/साक्षय का उल्लेख करना चाहिए था जो यह दर्शाता हो कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता को प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदनों के साथ विधिवत सेवा प्रदान की गई थी और वह अदालती नोटिसों की सेवा सहित कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के निर्वहन के बारे में पूरी तरह से अवगत था। यहां तक कि अगर न्यायालय परित्याग का अनुमान लगा सकता था, तो वह सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 8 के तहत शक्ति के प्रयोग में चूक के लिए याचिका को खारिज कर सकता था।

36. इसके अलावा, न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा दायर स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं कर सकता था और वह भी सुनिश्चित किए बिना।

कि यह अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा उस पर जारी किए गए नोटिस के परिणामस्वरूप विधिवत लागू किया गया था। मान लीजिए, यह इंगित करने के लिए कोई आधिकारिक अदालत रिकॉर्ड नहीं है कि इस तरह की सेवा अपीलार्थी पर प्रभावित हुई थी, जिसमें यह भी शामिल है कि अदालत ने स्थानांतरण आवेदन पर नोटिस जारी किया था। तर्क दें,

इस तरह के हस्तांतरण की अनुमति थी, लेकिन हस्तांतरण आवेदन को एकतरफा अनुमति देने के बाद, जब तक कि कारण शीर्षक में संशोधन नहीं किया गया था और अपने दावे के समर्थन में साक्षय पेश करने वाले पक्षों सहित याचिका में उचित परिवर्तन/संशोधन नहीं किए गए थे, तब तक मामला अंतिम निर्धारण के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था। इस तरह के संशोधन के बाद, किसी भी मामले में, अवसर

अपीलार्थी को अदालत का नोटिस जारी करके दिया जाना आवश्यक था ताकि वह संशोधित याचिका का जवाब देने में सक्षम हो सके जिसमें इसे चुनौती देना भी शामिल है। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए नहीं समझा जा सकता है कि संरक्षकता कार्यवाही में स्थानांतरण की अनुमति है, बहुत कम

नाबालिग बच्चे के दूसरे माता-पिता के कहने पर निश्चित रूप से अनुमेय। हम इस सवाल को खुला छोड़ते हैं।

37. संग्राम सिंह (ऊपर) में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 16 में कहा कि प्रक्रिया कुछ ऐसी है जो न्याय को सुविधाजनक बनाने और इसके प्रावधानों को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। अंत-सजा और दंड के लिए एक दंडात्मक अधिनियम नहीं; लोगों को परेशान करने के लिए डिज़ाइन की गई चीज़ नहीं। इसके अलावा, बहुत तकनीकी खंडों का निर्माण

इसलिए व्याख्या की उचित लोच के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है (बशर्ते कि हमेशा दोनों पक्षों के लिए न्याय किया जाता है) ऐसा न हो कि न्याय को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए साधनों का उपयोग इसे विफल करने के लिए किया जाए। ये टिप्पणियां प्रासंगिक हैं और इसका उस मामले में कोई अनुप्रयोग

नहीं है जहां परिवार न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की कोई झलक नहीं है और प्रतिवादी द्वारा उसे अमन लोहिया बनाम घोषित करने के लिए सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत आवेदन दायर करने के बाद (13.9.2019 पर) आठ दिनों से भी कम समय में पूरे मामले का निपटारा कर दिया जाता है।

किरण लोहिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

आदेश I नियम 10 (18.9.2019 पर दायर) के तहत स्थानांतरण आवेदन और 21.9.2019 पर प्रतिवादी के पक्ष में कार्यवाही की परिणति सहित नाबालिग बच्चे का एकमात्र, अनन्य और पूर्ण अभिभावक और संरक्षक, वह भी अपीलार्थी को सूचना दिए बिना और न ही पूर्व आवेदन पर पहले से जारी सूचना की सेवा की प्रतीक्षा करते हुए। यह निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पर्याप्त गैर-अनुपालन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, न कि एक तकनीकी अनियमितता जिसे अनदेखा किया जाना चाहिए।

38. रिलायंस को भी शामलाल मुरारी (ऊपर) में इस उक्ति पर रखा गया था। पैराग्राफ 8 में, संबंधित नियम का अर्थ लगाते हुए, यह न्यायालय राय दी कि उस नियम के प्रत्येक छोटे विवरण में अनिवार्य या अनिवार्य महत्व नहीं हो सकता है। उस निष्कर्ष पर, न्यायालय ने उक्त नियम का अर्थ इस प्रकार निकाला

निर्देशिका और कार्यवाही को दूषित करने का प्रभाव नहीं होना जैसा कि वर्तमान मामला, दोनों वैधानिक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के गैर-अनुपालन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण।

39. रिलायंस को तब रोजी जैकब (ऊपर) पर रखा गया था। उस मामले में, न्यायालय ने 1890 के अधिनियम की धारा 25 के तहत कार्यवाही पर विचार किया और उस मामले की तथ्य स्थिति में कहा कि माता और पिता के बीच विवाद के मामले में संरक्षक न्यायालय से नाबालिग बच्चों के कल्याण की आवश्यकताओं और उन पर उनके संबंधित माता-पिता के अधिकारों के बीच एक न्यायपूर्ण और उचित संतुलन बनाने की अपेक्षा की जाती है।

इस मुद्दे पर रिमांड की कार्यवाही में बहस करनी पड़ सकती है। हम इस पहलू पर विस्तार नहीं करना चाहते हैं।

40. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी तर्क देने में उचित है।

कि आक्षेपित निर्णय और आदेश परिवार न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में पारित किए जाने के लिए आए, के आग्रह के कारण हो सकता है

प्रत्यर्थी और उसके वकील ने अपीलार्थी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण और अवमानना मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में ऐसा किया। विवादित निर्णय उन आदेशों का संदर्भ देता है। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका या अवमानना याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के आचरण की निंदा की गई है,

नाबालिग बच्चे का संरक्षक होने के लिए अपीलार्थी की योग्यता या अन्यथा के तथ्य को निर्धारित करने के लिए एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है। इस तथ्य को संयुक्त साझा पालन-पोषण व्यवस्था की संभावना और विशेष रूप से, नाबालिग बच्चे के सर्वोपरि कल्याण और हित के साथ बाल-केंद्रित दृष्टिकोण सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने गुणों पर तय किया जाना चाहिए। यही कारण

है कि यहां तक कि उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण और अवमानना कार्यवाही का निपटारा करते हुए एक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट जोड़ी थी

21] 2 एस सी आर।

कम उम्र के नाबालिग बच्चे का सामना करना पड़ता है और विशेष रूप से, उसके समग्र विकास, कल्याण और सर्वोपरि हित के लिए। वे ऐसे मामले हैं जिनकी परिवार न्यायालय को दोनों पक्षों को उनके गुण-दोष के आधार पर उचित अवसर देने के बाद जांच करनी चाहिए। कानून।

42. एक प्राथमिकता के रूप में, हमें परिवार द्वारा पारित पूर्व-पक्षीय विवादित निर्णय और 21.9.2019 दिनांकित आदेशों को दरकिनार करने में कोई संकोच नहीं है।

स्थानांतरण आवेदन पर न्यायालय, साथ ही, के लिए आवेदन पर घोषणा करें कि प्रत्यर्थी नाबालिग बच्चे का एकमात्र, अनन्य और पूर्ण संरक्षक और संरक्षक है। उन्हीं कारणों से, कथित

अपीलार्थी द्वारा संरक्षकता याचिका। दूसरे शब्दों में, सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पठित आदेश VI नियम 17 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका में संशोधन के लिए दो आवेदनों को बहाल और पुनर्जीवित किया जाएगा और पहले स्थान पर सुनवाई की जाएगी। इसी तरह, बाद की घटनाओं/दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाने के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर अन्य आवेदनों पर भी पहले निर्णय लिया जाना चाहिए। चूंकि अपीलार्थी पहले ही यू. ए. ई. न्यायालय में लंबित पक्षों के बीच सभी कार्यवाही वापस ले चुका है, जैसा कि संबंधित मामलों में दर्ज है। इस न्यायालय में लंबित, यह इस तथ्य का संकेत है कि वह संरक्षकता याचिका को उसके तार्किक उद्देश्य तक आगे बढ़ाने का इरादा रखता है, और इस कारण से, ए. एम. ए. एन. लोहिया बनाम.

किरण लोहिया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रत्यर्थी द्वारा दायर सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पठित आदेश XXIII नियम 1 के साथ पठित आदेश I नियम 10 के तहत स्थानांतरण आवेदन को खारिज करने की आवश्यकता है। हम, हालांकि, द्वारा दायर आवेदन को पुनर्जीवित करते हैं

अपीलार्थी के स्थान पर उसे एकमात्र और पूर्ण संरक्षक घोषित करने के लिए सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत प्रतिवादी। वह कानून के अनुसार अपने गुण-दोष पर परिवार न्यायालय के समक्ष आगे बढ़ेगा। इसकी रखरखाव के बारे में दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध सभी विवादों को खुला छोड़ दिया जाता है। परिवार न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार निर्णय लिया जाए।

44. यह हमारे संज्ञान में लाया गया कि प्रतिवादी ने नाबालिग बच्चे के लिए अमेरिकी नागरिकता और उसके नाम पर अमेरिकी पासपोर्ट भी ले लिया है।

उस शिकायत के संदर्भ में, प्रतिवादी ने वकील के माध्यम से आश्वासन दिया था कि वह उक्त दावे को आगे नहीं बढ़ाएगी और अपीलार्थी द्वारा किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए इस न्यायालय में आत्मसमर्पण करने को तैयार है। प्रत्यर्थी आज से दो सप्ताह के भीतर ऐसा कर सकता है। साथ ही, हम प्रत्यर्थी को निर्देश देते हैं कि वह नाबालिग बच्चे के साथ दिल्ली से बाहर या विदेश में इस अदालत की पूर्व अनुमति के बिना यात्रा न करे, जिसे संबंधित मामलों में लिया जाना है।

45. अपील की आंशिक रूप से उपरोक्त शर्तों में अनुमति है (पैराग्राफ 42 से 44 में संदर्भित)। स्थानांतरित किए गए मामले का तदनुसार निपटारा किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। इस मामले में सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है।

हस्तांतरित

मामले का निपटारा किया गया।

निधि जैन